

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :- भंवरलाल पुत्र घेवरराम -:बनाम:-

अप्रार्थी :- तहसीलदार

किस्म मुकदमा :- राजस्व प्रा.पत्र

नम्बर :-141/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
14.06.23	<p>प्रार्थी उपस्थित।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प लाम्बिया में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत पेश किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा- लाम्बिया में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 289 में प्रार्थी की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम भंवरराम पुत्र घेवर दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में भंवरलाल पुत्र घेवरराम हैं, प्रार्थी ने अपना अशुद्ध नाम भंवरराम पुत्र घेवर के स्थान पर भंवरलाल पुत्र घेवरराम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।</p> <p>प्रशासन गांवो के संग अभियान लाम्बिया में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक लाम्बिया व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा- लाम्बिया में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 289 संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम भंवरराम पुत्र घेवर दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में भंवरलाल पुत्र घेवरराम दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम भंवरराम पुत्र घेवर के स्थान पर भंवरलाल पुत्र घेवरराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है।</p> <p>अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता हैं। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक लाम्बिया व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधर पर मौजा- लाम्बिया में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 289 में प्रार्थी के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि भंवरराम पुत्र घेवर को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक " भंवरलाल पुत्र घेवरराम "दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू-अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता हैं, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।</p>	

SDO (सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

